स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः– 45, दिनांक 28–01–2025

अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 शातिर तस्कर गिरफ्तार, 5 कि0ग्रा0 628 ग्राम चरस (अनुमानित मूल लगभग 30 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक–28–01–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 शातिर तस्करों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 05 कि0ग्रा0 628 ग्राम चरस (अनुमानित मूल लगभग 30 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. संतोष कुमार झा पुत्र स्व0 रत्नेश्वर झा नि0 गडबडुवाड़ी, थाना सुपौल, जनपद सुपौल, बिहार।
2. शिखा वर्मा पुत्री सरोज सेठ नि0 कंदवा, थाना चितईपुर, जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय :–

जनपद सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना के पास दिनांक–28–01–2025

गिरफ्तार अभियुक्तगों से कुल बरामदगी :–

1– 5 कि0ग्रा0 628 ग्राम चरस (अनुमानित मूल लगभग 30 लाख रूपये)
2– 2600/–रूपये नगद।
3– 4 अदद मोबाइल

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी समय से अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी से अवैध धन कमाने की सूचनाएें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित एक टीम द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद वाराणसी में ड्रग्स माफियाओं का एक संगठित गिरोह कार्य कर रहा है, जिनके द्वारा चरस, गांजा, हशीश, स्मैक आदि नशीले पदार्थ हिमाचल प्रदेश के मनाली, बिहार व नेपाल के बार्डर से भारी मात्रा में लाकर जनपद वाराणसी एवं आसपास के जनपदों में बेचा जाता है। मादक पदार्थ तस्करों द्वारा मादक पदार्थ बस/ट्रेन के द्वारा भी देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचवाया जाता है। इसी क्रम में आज दिनांक–28–01–2025 को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले उक्त गिरोह के 02 सदस्य जिसमें एक महिला भी है, दि0 21–01–2025 को बस द्वारा मनाली हिमांचल प्रदेश चरस लेने गए हैं। आज वो लोग बस से ही चरस लेकर मनाली से दिल्ली होते हुए वाराणसी आने वाले हैं, यदि

शीघ्रता की जाये तो रास्ते में पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम द्वारा लखनऊ–वाराणसी रोड पर स्थित थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर के स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर द्वारा बतायी गयी बस नं0:MP-14-ZE-7666 को थाना कोतवाली देहात के गेट के पास रोककर बस की तलाशी कर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछतांछ एवं अभिसूचना संकलन से पाया गया कि संतोष कुमार झा उक्त गैंग के सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 उपेन्द्र मिश्रा निवासी नीलकण्ठ (काली माता मंदिर के पास) थाना चौक जनपद वाराणसी का रिश्तेदार है, जो पैसे के लालच में आकर सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा के साथ मादक पदार्थ के तस्करी में संलिप्त है।

अभियुक्ता शिखा वर्मा स्वयं नशीले पदार्थ की सेवन करती है। शिखा वर्मा को सेवन के लिये नशीला पदार्थ व पैसा देने का लालच देकर गैंग में शामिल कर लिया गया था। शिखा वर्मा को इसलिये शामिल किया गया था कि ड्रग्स लाते समय साथ में महिला होने से कोई शक नही करेगा और सुचारू रूप से ड्रग्स लाया जा सकता है। सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा मादक पदार्थ खरीदने हेतु पहले संबंधित को ऑनलाइन पैसा भेज दिया जाता था, इसके उपरान्त अपने गैंग के संबंधित सदस्य को मोबाइल देकर मादक पदार्थ लाने हेतु भेजा जाता है। दिनांक 21–01–2025 को अभियुक्तगण संतोष कुमार झा व शिखा वर्मा को बस द्वारा मनाली भेजा गया तथा बताया गया कि ओल्ड मनाली में तनु नामक आदमी से ड्रग्स लेना है। ये लोग बताये अनुसार मनाली पहुॅचकर तनु से उक्त ड्रग्स ले लिये। यह ड्रग्स लाकर वाराणसी में देना था। इस काम के लिये इन्हें प्रति चक्कर 50–50 हजार रूपये दिये जाते थे। वाराणसी मंगाकर उक्त ड्रग्स को सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों के माध्यम से वाराणसी के विभिन्न स्थानों के साथ–साथ वाराणसी के बाहर भी भेजकर भारी लाभ कमाया जाता है।

सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा व अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर पर मु0अ0सं0 32/2025 धारा 111 बी0एन0एस0 व 08/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।